आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या–111 / 2024

राज किशोर प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

(द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान)

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री अमर कुमार ओझा प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 01.11.2024	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 4667/2024 में दिनांक 17.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में अंकित है कि :– ***"Without going into the merits or demerits of the case, having regard to the fact that the petitioner is having an alternative and efficacious remedy of filing a revision under Section 32(vi) of the Control Order 2016. The petitioner is directed to approach the Divisional Commissioner ventilating his grievance within a period of four weeks from the date of the receipt of a copy of this order. On receipt of the revision, the Divisional Commissioner shall pass necessary orders strictly in accordance with law within a period of four week thereof.*** ***It is needless to mention that before any order passed, all the parties shall be put on notice and given an opportunity of hearing and submit their objections. The entire exercise shall be completed as expeditiously as possible preferably within a period of eight weeks thereof. Any order passed shall be communicated to all the parties.*** ***With the above directions, the present writ petition stands disposed of to the extent indicated."***	

WEB COPY NOT OFFICIAL

वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोरेयाकोठी, महाराजगंज द्वारा दिनांक–21.04.2006 को 11:15 बजे पूर्वाह्न में श्री राज किशोर प्रसाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता केन्द्र ग्राम पंचायत राज उतरी सरारी के व्यापार परिसर/ दुकान का जाँच किया गया। जाँच के क्रम में विक्रेता के दुकान से संबंधित पंजियों आदि को जाँच हेतु मांग किये जाने पर जाँच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा जाँच पदाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं का बयान लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया कि विक्रेता के द्वारा माह अप्रैल का 1910 लीटर किरासन तेल का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण नही कर कालाबाजारी कर दी गई है। साथ ही विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को कैशमेमों निर्गत नहीं किया जाता है।

उक्त अनियमितता के कारण पुनरीक्षणकर्ता के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0– 01/2001 को अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लम्बी अवधि बीत जाने के बाद अपना स्पष्टीकरण गोरेयाकोठी थाना में दर्ज किए गए सनहा दिनांक 18.10.2006 के साथ समर्पित किया गया कि दिनांक– 17.10.2006 को दुकान से संबंधित कागजात महाराजगंज जाने के क्रम में गुम हो गया है। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज के आदेश ज्ञापांक– 348/आ0, दिनांक– 21.09.2007 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 1/2001 को रद्द कर दिया गया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार :–

(1) पुनरीक्षणकर्ता के पास वर्ष 2001 से जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति थी।

(2)प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, गोरेयाकोठी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच दिनांक 21.04.2006 को 11:15 पूर्वा0 में की गई एवं प्रतिवेदित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 1910 लीटर किरासन तेल का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण नही कर कालाबाजारी कर दी गई है तथा उपभोक्ताओं को कैशमेमो निर्गत नहीं किया जाता है।

(3) किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी भी कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की गई कि कैशमेमों या समय पर उपभोक्ताओं को अनाज या किरासन तेल नहीं दिया जाता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया कि किस उपभोक्ता द्वारा शिकायत किया गया है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(4) निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अस्पष्ट आरोपों के आधार पर अपना प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके संबंध में अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण में विस्तृत उल्लेख किया गया था, परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया है।

(5) किसी भी पी.डी.एस. लाइसेंस को 90 दिनों से अधिक निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज ने प्रभावी नियमों का पालन किए बिना और उक्त अवधि समाप्त होने के बाद ज्ञापांक–348 दिनांक 21.09.2007 द्वारा लाइसेंस रद्द करने का आदेश पारित कर दिया, जो सरासर गलत है और कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।

(6) समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा अपीलकर्त्ता के चिकित्सीय कारणों से अनुपस्थित रहने के कारण, बिना गुण–दोष पर विचार किए Default में आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के सुसंगत प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के विपरीत आचरण किया गया है तथा समाहर्त्ता, सिवान द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पष्चात् स्पष्ट एवं मुखर आदेष पारित किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विषेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः–

(1) प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, गोरेयाकोठी द्वारा दिनांक– 21.04.2006 को 11:15 बजे पूर्वा0 में पुनरीक्षणकर्ता के जन वितरण प्रणाली केन्द्र की जाँच की गई। जाँच के क्रम में विक्रेता की दुकान से संबंधित पंजीयों आदि की जाँच हेतु मांग किये जाने पर जाँच पदाधिकारी को पंजियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा जाँच पदाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं का बयान लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज को प्रतिवेदित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 1910 लीटर किरासन तेल का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण नही ंकर कालाबाजारी कर दी गई है तथा उपभोक्ताओं को कैशमेमो निर्गत नहीं किया जाता है। उक्त अनियमितता के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक– 753/सी0, दिनांक– 13.05.2006 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 01/2001 को तत्कालीन प्रभाव

WEB COPY NOT OFFICIAL

से निलम्बित करते हुए दिनांक– 20.05.2006 तक पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण के साथ माह जनवरी 2006 से अप्रैल 2006 तक की अवधि का किरासन तेल उठाव एवं वितरण का भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं माह वार काटे गए कैशमेमो की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लम्बी अवधि के पश्चात् स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाकर विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 01/2001 को अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज के आदेश ज्ञापांक 348/आ0 दिनांक 21.09.2007 द्वारा रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता लगभग 15 वर्षों के बाद माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 7181/ 2022 दायर किये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 17.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं0– 79/2022–23 दायर किये। अपील आवेदन दाखिल होने के बाद समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित तिथियों को पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति के कारण दिनांक– 12.06.2023 को अपील आवेदन को Default के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/ वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(2) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.4667/2024 दायर किया गया एवं दिनांक–17.05.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

(3) पुनरीक्षणकर्ता पर जाँच पदाधिकारी एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पंजियों की मांग पर पंजी उपलब्ध नहीं कराने, किरासन तेल का कालाबाजारी किये जाने एवं उपभोक्ताओं को कैशमेमो निर्गत नहीं किये जाने का प्रमाणित आरोप है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व (प्रपत्र–II) की कंडिका 8 एवं 20 में अंकित है किः–

08. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं का बिक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमेमो (परिशिष्ट 05 के अनुसार) देगा, जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/ निशान लेगा। कैशमेमों का कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा संवितरण के संबंध में बहियों या

WEB COPY NOT OFFICIAL

अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेष जो अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित है, में अंकित है किः–

"Engage in black marketing or siphoning away grains to the open market and hand over such ration shops to such other person/organisations shall make themselves liable for cancellation of their license. The concerned authorities/functionaries would not show any laxity on the subject."

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता का कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की कंडिका 8 एवं 20 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता को अपना पक्ष रखने का समुचित मौका देने के बाद मुखर आदेश पारित किया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को <u>खारिज</u> किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL